The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) No.

(b) and (c). There is a great shortage of beds in the hospitals and if fifty per cent of the available beds are set apart for the C.G.H.S. beneficiaries, there would be greater pressure on the remaining beds and the members of the public would be put to great inconvenience. This would also militate against an optimum utilisation of beds.

मंत्रियों के लिये बंगले

1947. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम चुनावों के बाद कितने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने बंगले बदले हैं तथा कितने मंत्रियों को नये बंगले अलाट किये गये हैं; और

(ख) मंत्रियों द्वारा उपरोक्त बंगलों में प्रवेश किये जाने से पहले उनमें सजावट, फर्नीचर, मरम्मत, नवीकरण तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जिन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने अपने बंगले बदले हैं उनकी संख्या 5 है तथा जिन्हें नये बंगले आवंटित किये गये हैं उनकी संख्या 20 है।

(ख) इन बंगलों में सजावट, फ़र्नीचर, मरम्मत, नवीकरण आदि पर निर्धारित किया गया अनुमानतन खर्चा 1,00,994 रुपये है। 1,93,540 रुपये की राशि बिजली के उपकरणों पर खर्च की गयी है।

लोअर डिवीजन क्लर्कों को क्वार्टर

1948. श्री यशपाल सिंह कुशवाह : क्या निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले लोअर डिवीज़न क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को राजधानी में रिहायशी क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं;

(ख) इन श्रेणियों के कितने कितने कर्मचारियों को अब तक क्वार्टर दिये जा चुके हैं; और

(ग) कितने कर्मचारियों को अब तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सामान्य पूल में रिहायशी वास का आवंटन कतिपय वेतन श्रेणियों के आधार पर किया जाता है, पदनाम अथवा जिस वर्ग की सेवा का कर्मचारी है उस आधार पर नहीं किया जाता। किसी विशेष टाईप के लिये कर्मचारी की पात्रता कर्मचारी के द्वारा ली गयी परिलब्धियों तथा जैसे कि आवंटन नियमावली के अन्तर्गत दिया गया है, उसकी अग्रिमता की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाती है। अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी निम्नांकित विभिन्न वेतन श्रेणियों में आते हैं, तथा उनके सामने लिखे गये वास के वे अधिकारी हैं :-

कर्मचारी की श्रेणी	वेतनमान	टाईप जिसके कि वे अधिकारी हैं	निवास स्थान के वर्गीकरण के लिये वेतन श्रेणी
लोअर डिवीज़न क्लर्क	110-180 रुपये	ii	110-249 रुपये—ii
अपर डिवीज़न क्लर्क	130-280 रुपये	ii तथा iii	250-399 रुपये—iii
चतुर्थ श्रेणी	110 रुपये से कम	i	110 रुपये से कम—i